फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/4/24	प० प्रार्थी / वादी उप० / पत्रावली राज आदेशानुसार दिनांक 8/5/24 को पेश हो / ह	
	8/5/24	प० प्रार्थी / वादी उप० पत्रावली राज आदेशानुसार दिनांक 7/6/24 को पेश हो	
	7/6/24	प० प्रार्थी / वादी उप० / पत्रावली प्राप्त आदेशानुसार दिनांक 8/7/24 को पेश हो / ह	
	8/7/24	प० प्रार्थी / वादी उप० / पत्रावली के तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त हुयी। जो शामिल पत्रावली किया गया / अवलोकन वादी की तरफ से की गई / वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है / निर्णय पृथक से लिखवा जाकर शामिल पत्रावली किया गया / पत्रावली नियमानुसार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो / ह	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सह

मुकदमा नं0:--58 /

मुक्तिलाल

जिला

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला--जयपुर

पीठासीन अधिकारी –रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–58 / 2023

उनवान

मुक्तिलाल पुत्र देवीसहाय, जाति बलाई, निवासी ग्राम चकदलेलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. रामस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार, खेजरोली उपतहसील खेजरोली, जिला जपयुर।

–प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 08.07.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम चकदलेलपुरा, पटवार हल्का नांगलकोजू, तहसील चोमूं, जिला जयपुर में खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 117/128 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/129 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120/130 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/131 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127/132 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमियां स्थित है। उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। उक्त भूमियां वादी की खातेदारी भूमियों के लगवा है। उक्त भूमियों पर वादी स्वयं के जन्म से व इससे पूर्व वादी के पिता द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा था जिससे अपने परिवार का पालन पोषण वादी व उसके पिता द्वारा किया गया है। उक्त भूमियों पर वादी का अर्सेदराज से कब्जा काश्त है जिस पर वादी शान्तिपूर्वक कृषि कार्य कर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमियां ही वाद पत्र में विवादग्रस्त है। उक्त भूमियों पर अर्सा दराज कदीमी से वादी के पिता व उनकी मृत्यु उपरान्त वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वाटी द्वारा काबिज काश्त होकर अर्सा दराज से फसल उत्पादित कर उपयोग उपभोग में लेकर समस्त लाभ प्राप्त किये जा रहे है। विवादग्रस्त आराजी वादी की कब्जे की भूमि है जिस पर वर्तमान में अपने पालतू जानवरों के रखवाले हेतु तथा चारा पानी आदि के लिए टीनशेड लगा रखे है। वादी विवादग्रस्त भूमियों पर चले आ रहे अर्से दराज के कब्जे व उपयोग उपभोग के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने व बतौर खातेदार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में स्वयं का नाम दर्ज करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। जिस बाबत् वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीगण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

... को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत् निवेदन किया जा चुका है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी के निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया है ना ही वादी को उक्त विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घेषित किया गया है। दिनांक 14.07.2023 को प्रतिवादीगण के अधिनस्थ कार्यरत पटवारी हल्का खेजरोली द्वारा विवादग्रस्त भूमि में मौके पर आकर वादी की बाजरे फसल को जबरिया नष्ट कर भूमि खाली करवाने की धमकी दी गई जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के समक्ष उपस्थित होकर भूमि विवादग्रस्त पर चले आ रहे अर्से दराज से कब्जे के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त के आधार पर वादी को खातेदार घोषित नहीं कर जबरिया बेदखल करने की धमकी दी गई जिस कारण वादी का उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद बाबत् घोषणा व इन्द्राज का डिक्री किया जाकर वादी के कब्जे काश्त को देखते हुये वादी को विवादग्रस्त भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम का अंकन किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को उसके अर्सा दराज से चले आ रहे निर्बाध कब्जे की भूमि से ना तो स्वये बेदखल करें, ना हीं बेदखल करने की धमकी दें, ना ही बेदखल करने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही करें, ना ही उक्त विवादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तानान्तरित करें, ना हीं उक्त समस्त कृत्य व्यक्ति/संस्था को हस्तानान्तरित करें, ना ही उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी स्वयंक रके ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अनुसार विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 1 में राज0सरकार सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त आराजीयात लगभग 25–30 साल से पडत है। जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है ना ही कब्जा काश्त है। वादी उक्त आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है जो कि वादी का उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त रहवास कभी रहा ही नहीं। वादी द्वारा कभी उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त धारा 91 भूराजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं हुई है।

हमने प्रकरण में वादीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार के नाम होकर सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादी का उपरोक्त आराजीयात पडत है जिस पर वादी का कभी भी कोई कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:31:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

स कभी नहीं रहा। प्रश्नगत भूमि राजकीय सिवायचक प्रतिबंधित भूमि होने एवं राजकीय लोकदायीत्व का निर्वहन करते हुए राजहित में वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

मुक्तिलाल पुत्र देवीसहाय, जाति बलाई, निवासी ग्राम चकदलेलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. रामस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार, खेजरोली उपतहसील खेजरोली, जिला जपयुर।

–प्रतिवादीगण –

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–58/2023 निर्णय दिनांकः– 08.07.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

प्रश्नगत भूमि राजकीय सिवायचक प्रतिबंधित भूमि होने एवं राजकीय लोकदायीत्व का निर्वहन करते हुए राजहित में वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.07.2024 को जारी किया गया ।,

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

Scanned with OKEN Scanner

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस 5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 6.कमिशनर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	2 1	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2.अर्जी के लिये स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 5.कमिशनर की फीस 6.आदेशिका की तामिल	0
जोड	3	जोड	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner